Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment	Entertainment & Event
Property	Hobbies & Interests
Business Opportunity	Services
Vehicles	Jewellery & Watches
Announcements	Music
Antiques & Collectables	Obituary
Barter	Pets & Animals
Books	Retail
Computers	Sales & Bargains
Domain Names	Health & Sports
Education	Travel
Miscellaneous	

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

बाबा रामदेव की मुसीबतें बढ़ीं

नोटिस

हाईकोर्ट ने कोरोना की दवा कोरोनिल मामले में जारी किया नोटिस

■ याचिकाकर्ता ने दवा को चार बिंदुओं के आधार पर चुनौती दी

संवाददाता

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दवा कोरोनील को लांच किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई बुधवार यानी पहली जुलाई की तिथि नीयत की है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उधमसिंह नगर के अधिवक्ता मणि कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पिछले मंगलवार को हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ के दिव्य फॉर्मेशी कम्पनी द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा को लांच की।

याचिकाकर्ता का कहना है बाबा रामदेव की दवा कम्पनी ने

पतंजलि का दावा इम्युनिटी बूस्टर का ही लिया लाइसेंस

पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला मीडिया को दिए बयान में औषधि के लेबल पर कोई अवैध दावा न किए जाने की बात कहते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि औषधि का निर्माण और बिक्री सरकार के तय नियम कानून के अनुसार होती है। किसी भी व्यक्तिगत मान्यताओं और विचारधारा के अनुसार नहीं। पतंजलि ने सारी प्रक्रिया का विधिसम्मत अनुपालन किया है। इधर, सोमवार को आयुष विभाग की ओर से भेजे नोटिस पर योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि सरकार ने दिव्य फार्मेसी को जो नोटिस दिया है, उसका आधार क्या है। यदि आधार लेबल है तो पतंजलि ने लेबल पर कोई गलत दावा नहीं है। पतंजलि की दवा इन्युनिटी बूस्टर का काम करती है। क्लीनिकल ट्रायल में इसके सेवन से कई कोरोना के मरीज ठीक हुए। पतंजलि ने इम्युनिटी बूस्टर का ही लाइसेंस लिया है।

आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन नहीं किया न ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति ली। आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन तक नहीं किया गया, जो आवेदन किया था वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था, उसी की आड़ में बाबा रामदवेव ने कोरोनिल दवा का निर्माण किया।

दिव्या फॉर्मेसी के मुताबिक निम्स विश्विद्यालय राजस्थान में दवा का परीक्षण किया गया, जबकि निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी भी दवा क्लिनिकल परीक्षण नही किया है। याचिकाकर्ता ने दवा को इन्हीं चार बिंदुओं के आधार पर चुनौती दी है। उनका यह भी कहना है कि बाबा रामदेव लोगों में अपनी इस दवा का भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये दवा न ही आईसीएमआर से प्रमाणित है। इनके पास इसे बनाने का लाइसेंस तक नहीं है।

इस दवा का अभी तक क्लिनिकल परीक्षण तक नहीं किया गया है। इसके उपयोग से शरीर मे क्या साइड इफेक्ट होंगे इसका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए दवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया

जाए। आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों के आधार पर भ्रामक प्रचार हेतु संस्था के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

दवा के प्रचार-प्रसार पर लगाई गई है रोक: दिव्य फार्मेसी ने पिछले मंगलवार को कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। इसके बाद से ही पतंजलि की दवा पर तमाम सवाल उठने लगे। उत्तराखंड आयुष मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए पतंजलि को नोटिस भेज दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। साथ ही, इससे संबंधित दस्तावेज तलब किए थे। इधर बीते बुधवार को उत्तराखंड आयुष विभाग ने दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेज फार्मेसी को तत्काल कोरोना किट के प्रचार पर रोक लगाने और लेबल संशोधित करने के आदेश दिए थे। नोटिस का जवाब सात दिनों के भीतर देने को कहा गया था। दरअसल, प्रदेश के आयुष विभाग का कहना था कि पतंजलि को इम्युनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था।

न्यूज डायरी

मोटर मार्ग कटिंग से आवासीय भवन खतरे की जद में

संवाददाता कर्णप्रयाग। विकासखंड कर्णप्रयाग के जयकंडी –मैखुरा मोटर मार्ग पर कटिंग कार्य के चलते आवासीय भवन को मलबे से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जयकंडी–मैखुरा मोटर मार्ग पर नरेन्द्र प्रसाद निवासी कांडा–मैखुरा का आवासीय भवन मोटर मार्ग कटिंग के चलते खतरे की जद में आ गया है यही नहीं सड़क का मलबा भवन से सटाकर रखा गया है। इससे आने वाले वर्षाकाल में भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। इस संबंध में कई बार लोनिवि गौचर सहित देहरादून उच्चाधिकारियों को मकान को पहुंची क्षति का प्रतिकर देने की बात कही गई।

स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से विस अध्यक्ष भी जुड़े

संवाददाता देहरादून। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में चलाए जा रहे स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। इस अवसर पर स्वदेशी स्वावलंबन अभियान में जुड़ने के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर कहा कि भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी होगा। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। अग्रवाल ने कहा है कि देश में सभी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि अपने देश में निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी और लोग स्वाबलंबी बनेंगे।

अमेजन इंडिया के सभी फुलफिलमेंट सेंटर्स में 100 फीसदी सिंगल–यूज प्लास्टिक बंद

संवाददाता देहरादून। अमेजन इंडिया ने आज भारत में अपने 50 से ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स से पैकेजिंग में उपयोगआने वाली सभी सिंगल–यूज प्लास्टिक को हटाने की घोषणा की है। इस तरह कंपनी ने स्थायित्व पूर्ण विकास की दिशा में अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सितंबर 2019 में कंपनी ने पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रयास के तहत इस लक्ष्य को जून 2020 तक की समय सीमा में पूरा करने का संकल्प लिया था। अमेजन इंडिया ने अपने स्वयं के आपूर्ति नेटवर्क में सिंगल–यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

हरीश रावत को पुलिस ने सीएम आवास जाने से रोका, वह सड़क पर धरने पर बैठे

संवाददाता देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुख्यमंत्री आवास के बाहर सांकेतिक धरना देने से पूर्व हाथीबड़कला बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोक दिया। हरीश रावत वहीं पर धरना पर बैठ गए। बता दें कि बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने पेट्रोल–डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी की सवारी कर प्रदर्शन किया था। इस पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 44 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसी के विरोध में वह आज सुबह मुख्यमंत्री आवास के बाहर सांकेतिक धरना देने के लिए जा रहे थे।

इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला बैरिकेडिंग पर रोक दिया, जिस पर वह वहीं धरने पर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि या तो उन्हें यहां से सीएम आवास जाने दिया जाए अन्यथा वह यहीं पर अनशन शुरू कर देंगे। वह अपने समर्थकों के धरना पर बैठ गए।

टिहरी जिले में बारातियों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौके पर ही मौत

संवाददाता

टिहरी। टिहरी गढ़वाल जिले के भिलंगना ब्लॉक में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। दुर्घटना में वाहन सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सभी लोग शादी में जा रहे थे।

दरअसल, भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में मरवाड़ी गांव रोड पर बरात में जा रहे लोगों की ऑल्टो कार मंगलवार दोपहर लगभग पौने तीन बजे अनियंत्रित होकर बालगंगा नदी किनारे गहरी खाई में गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। मृतकों में मोहन लाल, सोहन लाल, राम लाल शामिल हैं। यह सभी लोग भेटी गांव से कोट गांव शादी में जा रहे थे।

चौथे घायल व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेवश्वर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक कार सड़क से लगभग डेढ़ सौ मीटर नीचे गिरी है। हादसे की खबर सुनते ही भेटी गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलने पर एडीएम शिवचरण द्विवेदी मौके के लिए रवाना हो गए हैं।

भाकियू ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

संवाददाता मंगलौर। भाकियू की ओर से आयोजित पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को दिया है। मंगलवार को भाकियू के पदाधिकारी मंगलौर गुड़ मंडी पर एकत्र हुए। यहां पर संगठन के प्रदेश सचिव चौधरी रवि कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों का शोषण कर रही है।

गन्ने की फसल बेचकर किसान दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा गेहूं का बकाया भी अभी तक रुका हुआ है। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि सरकार को विदेशों की तर्ज पर किसानों को नकद सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही, डीजल और पेट्रोल के दामों में जिस तरह से सरकार वृद्धि कर रही है, उससे महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल महंगा होने से किसान परेशान है। सरकार को चाहिए कि वह डीजल के दामों में कटौती करें।